न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, उनियारा

(सुश्री रजनी मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 319/2020

निर्णय दिनांक :– 08.01.2021

1. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति कलाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)
2. पुष्करदत्त पुत्र भंवरलाल जाति कलाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
3. मोहनीबाई पुत्री भंवरलाल जाति कलाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
4. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति कलाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान् तहसीलदार जी, तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री बैणीप्रसाद मीना एंव विजय ज्योति

पेरोकार सरकार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के सयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 914 खसरा नम्बर 691 रकबा 2.84 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा एवं खाता संख्या 915 खसरा नम्बर 249 रकबा 1.55, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.10, खसरा नंम्बर 251 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.01 हैक्टर गै0मु0चाह कुलकीता 4 कुल रकबा 1.80 हैक्टर वाके उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक है। प्रार्थीगण के पिता का सही एवं वास्तदिक नाम भंवरलाल है, जो कि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, शेक्षिक दस्तावेजात इत्यादि मे अंकित है, परन्तु राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 914 मे प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरालाल एवं खाता संख्या 915 में भूरा अंकित हो रखा है,

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भवंरलाल है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीगण का नाम भंवरलाल के स्थान पर सहवन से भूरालाल एवं भूरा दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य मे विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीगण ने राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी मे अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार जी से निवेदन किया तो उन्होने अदालत हाजा मे कार्यवाही करने हेतु कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब सेवामे पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुऐ भूरालाल व भूरा के स्थान पर भवंरलाल किया जाना अपेक्षित बताया गया है।

वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली के तथ्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नही की गयी है बल्कि भूरा व भूरालाल के स्थान पर भवंरलाल किया जाना अपेक्षित बताया गया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार उनियारा को प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 914 खसरा नम्बर 691 रकबा 2.84 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा एवं खाता संख्या 915 खसरा नम्बर 249 रकबा 1.55, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.01 हैक्टर गै0मु0चाह कुलकीता 4 कुल रकबा 1.80 हैक्टर वाके उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरालाल एवं भूरा के स्थान पर भवंरलाल अंकित करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीना
उप खण्ड अधिकारी
आर0ए0एस0
उनियारा
उपखण्ड अधिकारी उनियारा